पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाए।
– अज्ञात

जम्मू–कश्मीर के हित में जरूरी

जम्मू–कश्मीर से बाहर पूरे देश में इसे लेकर कोई विरोध नहीं था। संसद में जिन दलों ने इस पर सवाल उठाए, वे भी इस कदम को अनुचित नहीं, गैरजरूरी बता रहे थे। उनके मुताबिक इसके लिए जम्मू–कश्मीर सहित पूरे देश में सर्वसम्मति बनने का इंतजार किया जाना चाहिए था।

ममता शर्मा।

संविधान के अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू–कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा समाप्त करने के ऐतिहासिक फैसले को आज एक साल पूरा हो रहा है। विभिन्न वजहों से देश में यह धारणा बनी हुई थी कि अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया तो इस राज्य का भारत में रहना कठिन हो जाएगा। लेकिन बीते एक साल का तजुर्बा बताता है कि इस बीच न तो जम्मू–कश्मीर के अंदर कोई बड़ी उथल–पुथल हुई और न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह कोई बड़ा मुद्दा बना।

फिर भी इस फैसले के नफा–नुकसान के आकलन के लिए एक वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 370 का खात्मा बीजेपी की उन वैचारिक प्रस्थापनाओं में था, जिसके प्रति प्रतिबद्धता को उसके अस्तित्व से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसे में उसके पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाने के बाद इस वादे को जमीनी शक्ल दिया जाना स्वाभाविक था।

जम्मू–कश्मीर से बाहर पूरे देश में इसे लेकर कोई विरोध नहीं था। संसद में जिन दलों ने इस पर सवाल उठाए, वे भी इस कदम को अनुचित नहीं, गैरजरूरी बता रहे थे। उनके मुताबिक इसके लिए जम्मू–कश्मीर सहित पूरे देश में सर्वसम्मति बनने का इंतजार किया जाना चाहिए था। मगर सरकार ने इसे न केवल देश के लिए बल्कि जम्मू–कश्मीर के लोगों के हित में भी जरूरी बताया।

इस खास कसौटी पर कसकर देखें तो बीता एक साल जम्मू–कश्मीर के लोगों को खास सुकून पहुंचाने वाला नहीं लगता। फैसले के बाद राज्य में जिन 444 लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) लगाया गया था, उनमें से 300 लोग रिहा किए जा चुके हैं, लेकिन शांति–व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कड़े कदम आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर पीएसए की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में बनाए गए नए डोमिसाइल कानून ने पाकिस्तान से उठकर आए शरणार्थियों, गुरखों, पंजाब से लाकर बसाए गए सफाई कर्मचारियों और राज्य के बाहर विवाह करने वाली महिलाओं को राहत की सांस लेने का मौका दिया है। उनके साथ हो रहा भेदभाव खत्म हुआ है, अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री उनके नाम पर होने लगी है और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना उनके लिए आसान हो गया है। लेकिन नौकरियों की हालत आज भी पहले जितनी ही बुरी है। अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले के कुछ ही सप्ताह बाद राज्यपाल ने तीन महीने के अंदर 50 हजार नौकरियां आने की घोषणा की थी लेकिन इसका अमल में उतरना अभी बाकी है।

उलटे जम्मू–कश्मीर चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक इस एक साल में चार लाख लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। घाटी में सामान्य जीवन और लोकतांत्रिक अधिकार सपना हो गए हैं। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती। अपने फैसले की सार्थकता सिद्ध करने के लिए केंद्र सरकार को वहां जन–जीवन सामान्य बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने वाले कदम जल्द से जल्द उठाने चाहिए।

ज्यादा गुस्सा

अशोक वोहरा। लो हो गया तो और ज्यादा निराशा आयेगी, घबराहट होगी, आप खीज उठेंगे। और ज्यादा क्रोध आएगा, तो आपकी खीज और बढ़ जाएगी। अगर डाक्टरों से पूछा जाये कि ये अल्सर वगैरह जो मनुष्य को हो जाता है, उसका कारण क्या है? डॉक्टर बहुत सारे कारण बताते हैं, उनमें एक प्रमुख कारण वह कहते हैं कि जो आदमी ज्यादा चिंता करता है, ज्यादा तनाव में रहता है तथा ज्यादा गुस्सा करता है, उस आदमी के शरीर में इसकी सम्भावना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे आदमी को दुनिया भर के रोग आकर लग जाते हैं। इसलिए क्रोध जैसी व्याधियों से दूर रहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी विशेष जगह पहुँचने का प्रयत्न न करें, क्योंकि जैसे ही आप कुछ विशेष पाना चाहेंगे, आपका मन "वह विशेष स्थान" बनाने लगेगा।

संपादकीय

मशीन पर जोर

सन 2013 से आधा दर्जन से अधिक संशोधन प्रस्तावित हैं, जिनमें दिसंबर 2020 तक एक केंद्रीय मॉनिटरिंग कमिटी का गठन होना शामिल है जो इनका कड़ाई से पालन करा सके। स्वच्छ उद्यमी योजना के तहत 4 प्रतिशत के ब्याज पर सफाई से संबंधित मशीनें भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अधिकारी, इंजीनियर, सफाई इंस्पेक्टर, ठेकेदार समय–समय पर वर्कशॉप का आयोजन करेंगे ताकि सफाईकर्मियों को नए और उपयोगी उपकरणों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सके। सेप्टिक टैंकों का निर्माण तय मानकों के अनुसार किया जाना जरूरी है। राहत की बात है कि स्वच्छता अभियान केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले कई वर्षों के निरंतर प्रयासों से खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है और शौचालयों के निर्माण में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नए संशोधन के अनुसार इन नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर सजा की अवधि 5 वर्ष तय की गई है। इसमें 5 लाख रुपये की जुर्माना राशि भी शामिल है । पुनः उल्लंघन की शिकायत के बाद सजा की अवधि 7 वर्ष और 10 लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दंड एक साथ भी दिए जाने की व्यवस्था है। आमतौर पर नगरपालिका, नगर निगम आदि संस्थाएं इन कार्यों को निजी एजेंसियों के जरिये करवाती हैं। भविष्य में निजी संस्थाओं की ओर से ऐसे सफाई कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। अनधिकृत और बगैर पंजीकरण के कोई संस्था इस प्रकार के नहीं करवा सकेगी।

अब नए संशोधन नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है ताकि सदियों से सामाजिक–आर्थिक विषमता की चक्की में पिस रहे लोगों की जिंदगी में भी रोशनी की किरण दिखाई दे सके।

सर्वोच्च न्यायालय की इस बारे में की गई तल्ख टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है कि 'दुनिया के किसी भी देश में लोगों को मरने के लिए गैस चैंबर में नहीं उतारा जाता है।'

जानलेवा सफाई

के. सी. त्यागी।।

हजारों वर्ष पुराने वीभत्स और क्रूर सामाजिक कोढ़ से राहत मिलने की संभावना दिख रही है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से तैयार एक्शन प्लान सर पर मैला ढोने तथा सीवर और सेप्टिक टैंकों में जाकर सफाई करने के प्रचलन पर रोक लगाने को कृतसंकल्प है। सर्वोच्च न्यायालय की इस बारे में की गई तल्ख टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है कि 'दुनिया के किसी भी देश में लोगों को मरने के लिए गैस चौंबर में नहीं उतारा जाता है।'

पिछले 10 वर्षों में केवल मुंबई महानगरपालिका के 2721 कर्मचारियों की मौत सफाई करने के दौरान हुई है। 500 से 1000 रुपये के लालच में ये मजदूर जहरीले चौंबरों में उतरने का जोखिम उठाते हैं, जिसमें अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड आदि जहरीली गैसों के कारण इनकी मौत तक हो जाती है । कई बार सफाईकर्मियों को शराब के अत्यधिक सेवन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि संभावित घटनाओं के प्रति वे बेखबर रहें।

2011 की आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार आठ लाख भारतीय अपने सिर पर मैला ढोने का काम करते

हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार देश में सूखे शौचालयों की संख्या लगभग 20 लाख है। अनुमानतः 14 लाख शौचालयों का मलबा खुले में बहा दिया जाता है, जिनमें 8 लाख से ज्यादा शौचालयों के मल की सफाई हाथों से की जाती है। देश में सिर्फ 30 फीसदी नालों का पानी ही ट्रीट हो पाता है। पिछले कुछ वर्षों में सीवर और सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान मृतकों की संख्या में बेशुमार बढ़ोतरी हुई है। 2019 का वर्ष इस तरह की दुर्घटनाओं में तेज वृद्धि का दौर माना गया है, जब 110 सफाईकर्मी एक ही वर्ष में मृत पाए गए। यह संख्या 2018 के मुकाबले 61 फीसदी अधिक है।

शुष्क शौचालयों के निर्माण और मैला ढोने पर रोक लगाने वाला कानून 6 सितंबर 1993 को बनाया गया था। मैला ढोने जैसे रोजगार का निषेध और पुनर्वास 2013 के खंड 7 के तहत सेप्टिक टैंकों की सफाई जैसे खतरनाक कार्य करने अथवा मजदूरी करवाने पर प्रतिबंध है। मौजूदा कानून के तहत इस प्रकार की सफाई और शुष्क शौचालयों का जारी रहना संविधान के अनुच्छेद 14, 17, 21 और 23 का उल्लंघन है । इन कानूनों के बावजूद लाखों की संख्या में दलित और खासकर वाल्मीकि समाज के लोग ऐसे कार्यों में मजबूरीवश लगे हुए हैं। सन 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2013 का कानून पूर्ण रूप से लागू करने, सीवर टैंकों की सफाई के दौरान हो रही मौतों पर काबू पाने और मृतकों के आश्रितों को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी कागजों तक ही सीमित रह गए हैं।

मामूली घटनाओं पर नाराजगी और दुख जताने वाला सभ्य समाज इनके पक्ष में कभी कोई कैंडल मार्च भी आयोजित नहीं करता है। संविधान निर्माता डॉ. आंबेडकर का पहला सत्याग्रह 25 नवंबर 1927 को इन्हीं वर्गों को तालाब के पानी से वंचित करने के विरोध में था। डॉक्टर आंबेडकर की पीड़ा थी कि वहां से तथाकथित अछूतों के जानवरों के जाने की इजाजत थी पर उन जानवरों के मालिकों का जाना प्रतिबंधित था। अंग्रेज कलेक्टर ने अपने आदेशों में इन समूहों के सवालों को सही माना था।

अष्टयोग-5139

1		3			6	
2	25		28	6	41	
	7	6				5
	38		24	4	29	
5		2		1		
	45	7	33		25	2
		5		3		1

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5138 का हल

2	1	7	5	3	6	4
7	39	6	33	4	33	5
4	7	5	1	2	3	6
3	36	4	28	1	29	7
6	4	3	5	7	2	1
5	29	1	33	6	32	2
1	7	2	4	5	6	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

काफी संशोधन कर कड़े प्रावधान किए

मोहन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक कदम आगे जाकर इन वर्गों के तिरस्कार के विरुद्ध खड़े थे। उनके आश्रम में अपना मल और समय पड़ने पर दूसरे का भी मल साफ करने का निर्देश था। मंत्रालय की ओर से एक्शन प्लान का जो मसौदा तैयार किया गया है, उसमें 2013 के मैला ढोने के कानून में काफी संशोधन कर कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई एक प्रशिक्षित और सुरक्षा कवचों तथा मास्क आदि की सुविधा से लैस कर्मचारी की देखरेख में ही कराई जा सकेगी। इन उपकरणों को उपलब्ध कराए बगैर सफाई के कार्य को गैरकानूनी माना जाएगा। घर की साफ–सफाई, खाना पकाना, बरतन मांजना, झाड़–पोंछ, कपड़े धोना, सुखाना, तह बनाना, छोटे बच्चे की देखभाल, स्कूल जाने वाले बच्चे को स्कूल तक या बस तक लाने–ले जाने की जिम्मेदारी, बूढ़ों की देखभाल जैसे कामों को घरेलू सहायक–सहायिकाएं अंजाम देते थे।